39

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1878–दो/2005 . – विरूद्व – आदेश दि.19–9–05 – पारित व्दारा – कलेक्टर जिला भिण्ड – प्र0क0 38/1997–98 निगरानी

1– रामनारायण सिंह पुत्र गुन्दी सिंह
2– विजयसिंह पुत्र चरण सिंह
3– रामसेवक पुत्र ग्यादीन
4– रामकुमार पुत्र ग्यादीन
5– आशाराम पुत्र ठकुरी सिंह
सभी ग्राम पुर तहसील व जिला भिण्ड ———आवेदकगण

विरूद्व

1– तेज सिंह पुत्र महाराज सिंह
2– महेन्द्र सिंह पुत्र गिरधारी सिंह
3– श्रीमती दुलारी पत्नि स्व.शेरसिंह
4– बदन सिंह पुत्र शेरसिंह
5– नरोत्तम सिंह पुत्र शेरसिंह
सभी निवासी ग्राम पुर तहसील व जिला भिण्ड
6– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर भिण्ड ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)

(अनावेदक 1 से 5 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 6–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 38/1997–98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–9–2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुतं की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने प्रकरण कमांक 2/1981—82 X 57 में पारित आदेश दिनांक 1—10—1981 से ग्राम पुर की भूमि सर्वे कमांक 434 रकबा 0.14 है. (जिसका बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर 436 बना है) अनावेदक कमांक 2 के हित में भूमिस्वामी घोषित कर प्रदान की गई। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी कमांक 38/1997—98 प्रस्तुत की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 19—9—2005 से निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई कि भूमि में से निकलने का रास्ता आवेदकगण को प्राप्त हो चुका है एंव वर्तमान में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं रहा है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक को सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदकगण को बार—बार सूचना पत्र भेजे गये, किन्तु सूचना पत्रों के निर्वहन की पुख्ता जानकारी न पाये जाने पर पंजीकृत डाक से सूचना भेजने के वाद भी वह अनुपस्थित है जिसके कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम पुर की भूमि सर्वे कमांक 434 रकबा 0.14 है. का उपयोग पुरूखों के जमाने से समस्त ग्रामवासी घूरा डालने एंव कण्डे थापने तथा भूसे के कूप लगाने के लिये करते आ रहे हैं । यह भूमि ग्राम की आबादी के अन्दर है परन्तु अनावेदक कमांक 2 के पिता ने अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड को गलत जानकारी देकर तथा ग्रामवासियों को सूचना दिये बिना तथा ग्राम पंचायत से सार्वजनिक प्रयोग की जानकारी लिये बिना ही आदेश दिनांक 1—10—81 से भूमि 57 (2) के अंतर्गत अपने नाम करा ली, जबकि भूमि पर आज तक सभी ग्रामीण घूरा डालने एंव कण्डे थापने तथा भूसे के कूप लगाने के उपयोग में ले रहे हैं । अनावेदकगण अब जबरन भूमि पर कब्जे के प्रयास में है परन्तु कलेक्टर भिण्ड ने वास्तविकता जाने बिना केवल एक पक्षकार की सहमति मानकर निगरानी खारिज करने में भूल की है जबकि कोई भी पक्षकार राजीनामे के लिये अथवा दस्तखत करने के लिये तैयार नहीं है। फर्जी आदमी खड़ा करके कलेक्टर को गुमराह करके निगरानी खारिज कराना बताया गया। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम पुर की भूमि सर्वे कमांक 434 रकबा 0.14 है. , जिसका बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर 436 बना है, अनावेदक कमांक 2 के हित में अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने प्रकरण कमांक 2/1981–82 X 57 में पारित आदेश दिनांक 1–10–1981 से भूमिस्वामी घोषित कर प्रदान की है। इसी भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न होने से शिकायती आवेदन कलेक्टर भिण्ड को दिनांक 2–2–1993 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे जॉच हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड को भेजा गया था। राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 20–1–1993 के पद –6 में मौके पर जॉच करके स्थिति इस प्रकार बताई गई है :'

'' रामसेवक s/o ग्यादीन सिंह का गोड़ा उक्त सभी व्यक्ति सर्वे नंबर 434 पर अतिकमण गौड़ा बनाकर व घूरा डालकर व कूप बनाकर व कन्डा आदि बना कर किये हुये हैं। इसी सर्वे नंबर में नीम के पेड़ 3, बबूल 2, बेरिया 5, मौके पर खड़ी है । मंदिर पर जाने की रास्ता पूर्व से है । कुआ भी उत्तर की ओर थी लेकन (मंदी) ''शब्द अपठनीय'' बन जाने से अब रास्ता कम रह गई है और कुआ पास में होने से कीचड़ होती है जिसके कारण रास्ता में अवरोध आता है''

राजस्व निरीक्षक का उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन आने एंव स्थिति स्पष्ट होने के वाद भी कलेक्टर भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 38/1997–98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–9–2005 से यह निर्णय लेना कि तेज सिंह एंव महेन्द्र सिंह में राजीनामा होना प्रमाणित है एंव निगरानी निरस्त कर देना सार्वजनिक हित में न्याय करने की श्रेणी में नहीं है क्योंकि मूल मामला शासकीय भूमि के ग्रामीणों के सुखाचार से जुड़ा है जिसके कारण कलेक्टर व्दारा पारित आदेश दिनांक 19–9–2005 तथा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 2/1981–82 X 57 में पारित आदेश दिनांक 1–10–1981 त्रृटिपूर्ण होना पाये गये हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर कलेक्टर भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 38/1997–98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–972005 तथा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 2/1981–82X57

में पारित आदेश दिनांक 1—10—1981 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड की ओर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह वाद विचारित भूमि का स्वयं स्थल निरीक्षण करें तथा सार्वजनिक हित में ग्राम पंचायत की राय लेकर एंव हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर